न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) कालपी, जनपद जालौन।

मूलवाद सख्याः– 01/2019

अवधेश आदि बनाम राघव बाबा आदि।

<u>आदेश–पत्र</u>

<u>02.01.2019</u>

आज दावा वादीगण प्रस्तुत हुआ। मुंसरिम आख्या अवलोकित। अतः मूलवाद दर्ज रजिस्टर हो। समन प्रतिवादीगण जारी हो। पत्रावली दिनांक 21.01.2019 को वास्ते जवाव दावा एवं दिनांक 28.01.2019 को वास्ते तनकीह पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) कालपी
जनपद जालौन

<u>02.01.2018</u>

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र 6ग–2 मय शपथ पत्र 7ग–2 पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादीगण ने प्रार्थना–पत्र 6ग–2 के माध्यम से प्रार्थना किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादीगण को मना किया जावे कि प्रतिवादीगण विवादित मंदिर महादेव व उसकी कृषि भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा न करे और न ही प्रतिवादी सं0–1 स्वयं को मुहतमिम घोषित करे या नियुक्त करे और न ही मंदिर व कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जा निस्तार में हस्तक्षेप करें।

प्रार्थना–पत्र के समर्थन में वादी की ओर से सूची 10ग–2 के माध्यम से 01 ता0 10 अभिलेख प्रस्तुत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी कागज सं0 11ग1 के अवलोकन से विदित होता है कि गाटा सं0 124 रकवा 1.1210 हे0 एवं गाटा सं0 185 रकवा 0.1940हे0 महादेव जी विराजमान मंदिर मु0 भवानीशंकर व नरायन गिरी के नाम दर्ज है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो में प्रतिवादीगण को अगली नियत तिथि तक निषेधित किया जाता है कि वे विवादित भूमि सं0 124 रकवा 1.1210 हे0 एवं गाटा सं0 185 रकवा 0.1940हे0 पर वादीगण कब्जा निस्तार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। वादीगण आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 की पैरवी अविलम्ब करें। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते 6ग–2 दिनांक 28. 01.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) कालपी
जनपद जालौन

<u>2.01.2019</u>

8ग–2 अमीन नियुक्ति हेतु प्रार्थना–पत्र सुना। न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पैरवी अविलम्ब हो। वाद पैरवी अमीन को 8ग–2 के प्रकाश में नियमानुसार परवाना जारी किया जाये। अमीन कमीशन को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षो को सूचित करने के उपरान्त मौके की आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक न्यायालय मे प्रस्तुत करें।

सिविल जज (जू0डि0) कालपी
जनपद जालौन